शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 24.06.2024

पुवायाँ पुलिस द्वारा सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार -

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायां पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी पुवायाँ पुलिस द्वारा सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर वादी के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश कर तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.06.2024 को वादी श्री विवेक अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी मो0 दुबे कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत द्वारा थाना हाजा पर तहरीर देकर सोने के सिक्के खरीदने के लिए थाना पुवायां के ग्राम अनावा से थोड़ा आगे एक ट्यूबवेल के पास अभियुक्तगण द्वारा वादी को बुलाकर वहां पर पहले से मौजूद एक मुल्ला जी व एक औरत और एक लड़का द्वारा वादी की गाडी से दो थैलो मे रखे 30 लाख रुपये मुल्ला जी के द्वारा ले लेना तथा उसी समय एक गाड़ी बुलेरो सफेद बिना नम्बर प्लेट की तथा दूसरी गाड़ी नेक्सा फ्रॉनेक्स बिना नम्बर प्लेट की आना तथा इनके द्वारा यह कहकर की सिक्के लाकर देते हैं उन्ही गाडियों में बैठकर खुशीराम उर्फ मामा पुत्र नामालूम व मुल्ला जी,औरत व लडके का चला जाना तथा वादी को इंतजार करने पर भी सोने के सिक्के लाकर न देना तथा अपना मोबाइल बंद करके उक्त सभी लोगो द्वारा वादी के 30 लाख रुपये धोखा धड़ी करके बेईमानीपूर्वक हड़प लेने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना अभियोग मे साक्ष्य के आधार पर धारा 467/468/471/411/120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

दिनांक 24.06.2024 को थाना पुवायाँ को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की आपके थाने पर पंजीकृत ठगी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मोहसिन उर्फ मुसीम अली निवासी ग्राम पसिया खेडा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर अपने अन्य 2 साथियो के साथ उसके घटना मे प्रयुक्त गाडी नेक्सा फ्रोनेक्स सफेद रंग की लेकर आया है और कही निकलने की फिराक मे है अगर जल्दी की जाय तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की बात पर विश्वास कर मुखविर के बताये स्थान की ओर चले जब नगरिया प्रयागपुर गुरूद्वारे के पास पहुँचे तो सामने से सफेद रंग की गाडी आती दिखाई दी ,चालक से गाडी रूकवाकर गाडी को सडक पर तिरछा खडी कर दिया मुखबिर खास गाडी रुकते ही चला गया। सामने से आ रही गाडी नैक्सा फोनेक्सको सडक पर रुकवाकर चारो ओर से घेर लिया और गाडी को रोड किनारे खडा करवाया गया नियमानुसार नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले

व्यक्ति ने अपना नाम मोहसिन उर्फ मुसीम उर्फ मुसीर पुत्र स्व0 बशीर खाँ निवासी ग्राम पसिया खेडा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर बताया हाथ मे लिए एक प्लास्टिक के थैले की तलाशी ली गयी तो उसमे 500-500 के नोटो की 11 गडिड्या कुल 1100 नोट अर्थात 5 लाख 50,000 रुपये तथा 50 सिक्के आर्टीफिशियल पीली धातु के जो सोने के सिक्के बरामद हुए। व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम आजम पुत्र महबूब निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी बताया जामा तलाशी पर पहने पैंट की दाहिनी जेब से 500-500 के 43 नोट अर्थात 21,500 एक अदद गाडी की RC गाडी नं0 31 BJ 7374 आजम पुत्र महबूब R/O रसूलपुर,मौहम्मदी लखीमपुर खीरी 262801 तथा एक अदद मोबाईल Vivo V29e रंग काला जिस पर प्लास्टिक का कवर चढा है EMEI No 866807063558556 तथा 866807063558549 बरामद हुआ तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोहसिन पुत्र दलवीर खाँ निवासी मो0 देवी स्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी बताया पहने हाफ नेकर की बायी जेब से 500-500 के 57 नोट अर्थात 28.5000 रुपये बरामद हुए। फर्जी रुप से तैयार RC व नम्बर प्लेट के विषय मे पूछताछ की तो तीनो एक साथ बताये कि साहब रोड पर चैकिंग होती रहती है नम्बर प्लेट लगी रहती है तो पुलिस वाले शक नही करते और RC दिखाने की नौबत आती है तो फोरी तौर पर दिखा देते है । अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके जुर्म मु0अ0सं0 394/2024 धारा 420/406/467/468/471/411/120बी भादवि से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मोहसिन उर्फ मुसीम उर्फ मुसीर पुत्र स्व0 बशीर खाँ निवासी ग्राम पसिया खेडा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
2. आजम पुत्र महबूब निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी
3. मोहसिन पुत्र दलवीर खाँ निवासी मो0 देवी स्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 394/24 धारा 420/406/467/468/471/411/120बी भादवि

बरामदगी का विवरण –

1. कुल 06 लाख रूपये नकद।
2. 50 अदद आर्टिफिशियल पीली धातु के सिक्के।
3. एक अदद फर्जी रूप से तैयार की गयी गाडी की आर0सी0।
4. दो अदद गाडी की फर्जी तैयार की गयी नम्बर प्लेट ।
5. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी का।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 224 नीरेश सिंह थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 86 सचिन मिश्रा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1828 रोहित कुमार थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर